संख्या- 111/18-4-2025

प्रेषक,

दयाराम यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0,
लखनऊ ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 फरवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के तहत औद्योगिक आस्थानों /औद्योगिक पार्को के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशको को आर्थिक सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित / परिलक्षित हो रही बचतों की धनराशि रू0 15000.00 लाख में से धनराशि रू0 353.53 लाख का पुनर्विनियोग भारत सरकार की ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) का मैचिंग राज्यांश" योजना मद में करते हुए प्रश्नगत योजनान्तर्गत गोमतीनगर, लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेण्टर की स्थापनार्थ अवशेष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-79/4-वित्त/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 26.11.2024 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में भारत सरकार की ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) के अंतर्गत विराजखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेंटर के स्थापना हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 2017.00 लाख में से रू0 548.00 लाख केन्द्रांश तथा अवशेष धनराशि रू0 1469.00 लाख में से भूमि की सम्मिलित धनराशि रु० 549.00 लाख को घटाते हुए रू0 920.00 लाख राज्यांश निर्धारित किया था एवं राज्यांश के रूप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संबंधित मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में कोई धनराशि प्राविधानित न होने के कारण शासनादेश संख्या-301/18-4-2023 दिनांक 27.03.2023 द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में अयोध्या में सीपेट का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर-वृहत निर्माण कार्य योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परिलक्षित हो रही बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग करते हुए भारत सरकार की ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) के अंतर्गत विराजखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेंटर के स्थापनार्थ निर्धारित राज्यांश की प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 460.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। तद्नन्तर ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) के अंतर्गत विराजखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेंटर के स्थापना से संबंधित परियोजना की निर्माणदायी संस्था (उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0, लखनऊ) द्वारा प्रस्तुत किए गये परियोजना प्रस्ताव/आगणन के मूल्यांकन के उपरांत प्रायोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा पूर्व में निर्धारित राज्यांश की धनराशि को संशोधित कर अवशेष राज्यांश रू0 460.00 लाख के स्थान पर रू0 353.53 लाख अनुमोदित/निर्धारित किया गया है, जिसे वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों औद्योगिक पार्को के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आर्थिक सहायता योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 15000.00 लाख की बचत परिलक्षित हो रही है, अतएव वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-003 के तहत औद्योगिक आस्थानों /औद्योगिक पार्को के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशको को आर्थिक सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु लेखाशीर्षक-"5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800- अन्य व्यय-03- औद्योगिक आस्थानों/ औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आर्थिक सहायता-42- अन्य व्यय" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-5475-00-800-03-00-42) के अंतर्गत प्राविधानित/ बचतों की परिलक्षित हो रही धनराशि रू0 15000.00 लाख में से धनराशि रू0 353.53 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख तिरपन हजार) मात्र का पुनर्विनियोग भारत सरकार की ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) योजनान्तर्गत गोमतीनगर, लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेण्टर की स्थापना से संबंधित ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) का मैचिंग राज्यांश योजना के लेखाशीर्षक- "4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-12- ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) का मैचिंग राज्यांश-24- वृहत निर्माण कार्य" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-4851-00-102-12-00-24) में संलग्न प्रारूप के अनुसार करते हुए प्रश्नगत परियोजना हेतु पीएफएडी द्वारा उक्तानुसार अनुमोदित/ संशोधित कर निर्धारित किए गये कुल राज्यांश की धनराशि रू0 1361.53 लाख (भूमि की लागत सहित) मात्र में से उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा राज्यांश की प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 460.00 लाख तथा भूमि की लागत को घटाने के पश्चात द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अवशेष यथासंशोधित राज्यांश धनराशि रू0 353.53 लाख (रूपये तीन करोड तिरपन लाख तिरपन हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि आपके निर्वतन पर रखने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत परियोजना हेतु भारत सरकार से अवशेष केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात इस शासनादेश द्वारा उक्तवत् पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 353.53 लाख का सदुपयोग भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन द्वारा **15th GCP (GY 2021-22 to FY 2025-26)** अवधि हेतु "ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम" (टाइज) की निर्गत गाइडलाइन्स, वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय वाणिज्य विभाग भारत सरकार उद्योग भवन नई दिल्ली के पत्र संख्या-के-46012/4/2022-स्टेट्स सेल, दिनांक 09.09.2022 के साथ प्राप्त कार्यवृत्त एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था/सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/सुसंगत वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोगोपरांत तद्नुसार सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण एक माह के अंदर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस शासनादेश की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत हैं:-

(1) उक्त पुनर्विनियोग से व्यवस्थित धनराशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित देयताओं के सम्बन्ध में संगत नीति/शासनादेशों के अनुसार देय हों, अन्यथा की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) पुनर्विनियोग से व्यवस्थित प्रश्नगत धनराशि हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। राजकोष से आहरित की जाने वाली धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में पात्र लाभार्थियों/संस्थाओं को सीधे भुगतान किया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा एवं यदि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31-3-2025 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 / बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

(5) लाभार्थी/इकाइयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्गत किये गए शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा तत्संबंधी समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों/दिशा-निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता एवं आंकडों की शुद्धता के साथ ही बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी तथा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा एवं प्रश्नगत प्रकरण में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देश प्रभावित न हों।

(10) उपर्युक्त पुनर्विनियोग की गई धनराशि रू0 353.53 लाख मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-102-लघु उद्योग-12-ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) का मैचिंग राज्यांश-24- वृहत निर्माण कार्य" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-4851-00-102-12-00-24) मद में डाली जायेगी तथा "5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-औद्योगिक आस्थानों/ औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आर्थिक सहायता-42- अन्य व्यय" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-5475-00-800-03-00-42) में परिलक्षित हो रही बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा इसे वहन किया जायेगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आर.ई.संख्या–बजट-1-355 दिनाँक 10.02.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

संख्या- 111 (1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ ।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ।

3-डायरेक्टर, डी0डी0ओ0 (टाइज) भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, (एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर) नई दिल्ली।

4-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

5- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

7-निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 प्रयागराज/निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।

8-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ।

9-वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1 व 4/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3

10-उप सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाराम यादव)

अनु सचिव।

फार्म बी0 एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नाम-003, उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-003 वित्तीय वर्ष 2024-25 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
पूंजी लेखा लेखाशीर्षक(15 डिजिटकोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03- औद्योगिक आस्थानों/ औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आर्थिक सहायता 42- अन्य व्यय (लेखाशीर्षक-5475-00-800-03-00-42)	15000.00	15000.00	353.53	353.53	14646.47
योग	15000.00	15000.00	353.53	353.53	14646.47

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
पूंजी लेखा लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 102-लघु उद्योग 12- ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) का मैचिंग राज्यांश 24- वृहत् निर्माण कार्य (लेखाशीर्षक 4851-00-102-12-00-24)	00.00	353.53	353.53	353.53	353.53
योग	00.00	353.53	353.53	353.53	353.53

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय न होने के कारण बचत की सम्भावना है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>मांग का औचित्य:</u>- परियोजना लागत के सापेक्ष भारत सरकार से रु0 548.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 274.00 लाख का सदुपयोग कर लिया गया है। परियोजना की कुल लागत रु० 2017.00 लाख में से रू0 548.00 लाख केन्द्रांश तथा अवशेष धनराशि रू0 1469.00 लाख में से भूमि की सम्मिलित धनराशि रू0 549.00 लाख को घटाते हुए रू0 920.00 लाख राज्यांश है। परियोजना हेतु राज्यांश में धनराशि रू0 353.53 लाख की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई.संख्या–बजट-1-355 दिनाँक 10.02.2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0 प्रयागराज।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- दयाराम यादव, अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम
तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम - अनुराग गुप्ता,विशेष सचिव
वित्त विभाग(वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1)

<u>संख्या- 111 (1)/18-4-2025,दिनांक 10 फरवरी,2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निर्यात आयुक्त/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,कानपुर।
3- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम-दयाराम यादव,अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम
तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in